बिहार राज्य से प्राप्त विद्यालय अनुश्रवण समेकन प्रपत्र पर टिप्पणीयाँ

क्वार्टर : IV (2014-15) & I (2015-16)

विद्यालय अनुश्रवण समेकन प्रपत्र पर राज्य द्वारा भेजी गई सूचनाओं के पर निम्नलिखित सुझाव दिए जा रहे हैं:-

- **राज्य ने प्रथम क्वार्टर** (June 2015) **से संबंधित सूचनाएँ भेजी है । यहाँ यह बताना आवश्यक है कि एन.सी.ई.आर.टी को केवल द्वितीय एवं चतुर्थ क्वार्टर के गुणवत्ता अनुश्रवण प्रपत्र** (Quality Monitoring **ही भेजी जाती हैं ।**
- **राज्य द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार, राज्य में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में सुधार की आवश्यकता प्रतीत होती है । राज्य में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, विद्यालय प्रंबधन समितियों का संचालन, शिक्षा से वंचित बच्चों का विद्यालय में आयु अनुसार कक्षा में प्रवेश, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रयास, शैक्षिक उपलब्धि आदि को**

अनुश्रवण प्रपत्र में शामिल करने की आवश्यकता हैं। आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 के अनुसार ये प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण पहलू हैं ।

- वर्तमान क्वार्टर में अनुश्रवण किये गये विद्यालयोंकी कुल संख्या 34123 (48%) बताई गई है । यह संख्या पिछले क्वार्टर (चतुर्थ) की अपेक्षा कम हो गई है जिसमें 36987 (52%) विद्यालयों का अनुश्रवण किया गया था । इस संबंध में भविष्य में यह प्रयास होना चाहिए कि अनुश्रवण में विद्यालयों की संख्या लगातार बढ़ती रहे जिससे शिक्षा की गुणवत्ता के समग्र आकलन से वस्तुस्थिति का पता चले ।
- राज्य में 356 (2%) प्रधानाध्यापक और 4150 (2%) शिक्षकों को विद्यालय के समय के दौरान कुछ भी नहीं करते पाया गया है । कुछ शिक्षक अपने निजी काम करते हुए भी पाए गए है । आशा है कि इस जानकारी के आधार पर विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे होंगे।
- कक्षा संचालन के अवलोकन के विषय में दी गई जानकारी से यह ज्ञात होता है कि कुछ कक्षाओं में शिक्षक शिक्षण् की प्रक्रिया में लगे हुए नहीं पाए

पाए गए। 3627 (8%) विद्यालयों में शिक्षक नहीं पढ़ा रहे थे। 5756 विद्यालयों में शिक्षक उपस्थित नहीं थे लेकिन फिर भी छात्र अध्ययन कर रहे थे। 2569 विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे और छात्र भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे। इस स्थिति में शिक्षण कार्य के निरीक्षण की अत्यंत आवश्यकता आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में संकुल तथा ब्लाक स्तर के अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण कर इस तरह के शिक्षकों को प्रेरित करें कि वे सुचारू रूप से कक्षा का संचालन करें। करें।

- राज्य में 3645 (7%) विद्यालयों में विद्यालय परिसर में साफ-सफाई असंतोषजनक पाया गया है। विद्यालय में फैली गंदगी का बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अत: यह आवश्यक है कि राज्य विद्यालय परिसर की सफाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत करें और शीघ्र उपयुक्त कदम उठाए।
- विद्यालय अनुश्रवण प्रपत्र से मिली उपस्थिति जानकारी के अनुसार, केवल 2420 (7%) विद्यालयों में 80 प्रतिशत से उपर उपस्थिति हैं। शिक्षा

की गुणवता में सुधार हेतु किए गए विभिन्न प्रयास विफल है यदि बच्चों के के नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्वि लगातार न बनी रहे ।

- राज्य में 8455 (24%) विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक सभी कक्षाओं एवं सभी छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं है। पाठ्य पुस्तकों के अभाव से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। पुस्तकों की समय से उपलब्धता में क्या अड़चनें हैं इसकी जानकारी उपलब्ध कर आवश्यक एवं तुरंत कार्रवाही करने की आवश्यकता है ।
- कक्षा प्रथम और कक्षा द्वितीय में शिक्षा की गुणवत्ता के अनुश्रवण के संबंध से राज्य द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कई विद्यालयों में बुनियादी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा रहा रहा है। कई विद्यालयों में शिक्षक नामित नहीं है, शिक्षकों को पाठ्यक्रम की की जानकारी नहीं है और इसके फलस्वरूप पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा शिक्षण नहीं हो रहा है। कई विद्यालय ऐसे है जहाँ पिछडनेवाले बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि वर्षों से चल रहे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत किए कई कार्यो के बावजूद बावजूद अभी और भी गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है।

- **भेजे गए विद्यालय अनुश्रवण प्रपत्र में केवल कक्षा तीन से आठ की अवलोकित कक्षाओं की संख्या दी गई है। इन कक्षाओं के संदर्भ में गुणवत्ता संबंधित अन्य मानकों के उल्लेख से शिक्षा की वास्तविक स्थिति समझने में और अच्छी सहायता मिल सकती है ।**
- **हमें विश्वास है कि राज्य द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में उनके कारणों को जानकर विभिन्न स्तरों पर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे होंगे। (कृपया उन उन से हमें अवगत कराएं जिससे कि अन्य राज्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें ।)**
- **एन.सी.ई.आर.टी. ने हाल ही में क्वालिटी मानिटरिंग टूल्स** (QMTs) **के लिए एक वेब पोर्टल** (Web Portal) **का आरम्भ किया है। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एन.सी.ई.आर.टी. को भेजें गए भरे हु ए**STMF **की रिपोर्ट और उनपर एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रदान किए जाने वाले सुझाव उपलब्ध है। यह पोर्टल पर** http://www.ciet.nic.in/QMTs/index.php **देखा जा सकता है।**
- **एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित कई दस्तावेजों को एन.सी.ई.आर.टी. की वेबसइट पर देखा जा सकता है।**